

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : एफ/प्रशा/स्था/2019/1193

दिनांक 25/11/19

// अधिसूचना //

भारत सरकार एवं म0प्र0 शासन द्वारा स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है उक्त कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार, समस्त शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों एवं छात्रों को सूचित किया जाता है कि, यदि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय परिसर में अस्वच्छता फैलाते/थूंकते हुए पाये जाते हैं तो उस पर नियमानुसार ₹0 500/- का जुर्माना लगाया जावेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक, समस्त अध्ययनशालाएँ/विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. उप/सहायक कुलसचिव (प्रशासन/गोपनीय/परीक्षा/लेखा/विकास/अकादमी) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. सुरक्षा प्रभारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सूचना पटल पर चस्पा हेतु।


सहायक कुलसचिव (प्रशा0)